न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 45/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

हरसहाय पुत्र पून्या जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 दौसा 87, गंगा विहार कॉलोनी, रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना अंतर्गत धारा 3 जी विरूद्व अवार्ड आदेश भू अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नंबर 619 बाबत ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान के संबंध में पुनः अवाप्तशुदा भूमि का सर्वे करवाकर मुआवजा का पुनः निर्धारण करवाने व मुआवजा दिलाये जाने बाबत ।

उपस्थित– 1. श्री लक्ष्मीनारायण मीना, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामचरण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

दिनांक 30.05.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम उदयपुरा के खसरा नंबर 619 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थीयान ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के काश्तकार व्यक्ति है तथा ग्राम उदयपुरा में खसरा नंबर 619 स्थित है जिसके प्रार्थीयान स्वामी व काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से कुछ भूमि दिल्ली–बडौदरा सडक एन. एच–148 में अवाप्त की गई है। उक्त भूमि में प्रार्थी के खसरा नंबर 619 में दो खजूर के बडे पेड, दो बबुल के छोटे पेड, दो पापड के छोटे पेड एक नीम का छोटा पेड व एक आम का बड़ा पेड, एक आम का छोटा पेड स्थित है जिसको पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में सीमा ज्ञान रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है जो प्रार्थीयान द्वारा लगाये गये थे तथा उनकी काफी मेहनत व लागत लगाकर परवरिश की गई थी परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी ने उक्त पेडो के मुआवजे के संबंध में कोई निर्धारण नही किया और ना ही मौके अनुसार पेडो के संबंध [illegible] प्रार्थीगण ने भू अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के यहां एक प्रार्थना [illegible] पेडो के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर भू अवाप्ति अधिकारी नांगल [illegible] राजावतान से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जिस पर [illegible] द्वारा दिनांक 26.[illegible]21 को मौके पर जाकर खसरा नंबर 619 की जांच की व [illegible] रिपोर्ट पेश की [illegible] उक्त पेडो का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान द्वारा उक्त पेडो के संबंध में कोई मुआवजे का निर्धारण नहीं किया। पटवारी

जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से भी अवाप्तशुदा भूमि में पेड़ो के संबंध में विस्तृत रूप से रिपोर्ट पेश की है जिसके बाजवूद भी भूअवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त पेडो के मुआवजे का कोई निर्धारण नहीं किया और अप्रार्थी नंबर 1 ने पुनः पेडो के संबंध में मुआवजा का निर्धारण करने से इंकार कर दिया इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी है व भू अवाप्ति अधिकारी को आदेशित फरमाया जाना न्यायोचित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 619 ग्राम उदयपुरा का पुनः मौके अनुसार सर्वे व जांच करवाकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित पेडो जिसकी पुष्टि तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा की गयी है, का मुआवजे का पुनः निर्धारण कर मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 भू अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 619 ग्राम उदयपुरा का पुनः सर्वे करवाकर उक्त पेडो के संबंध में मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार पुनः मुआवजा राशि का निर्धारण करवाकर प्रार्थीगण के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण करे तथा प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि में लगे हुए पेडो का मुआवजा नियमानुसार प्रार्थीगण को दिलवाया जावे व अवार्ड आदेश में संशोधन करने के आदेश पारित करने की कृपा करे ।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के द्वारा ग्राम उदयपुरा स्थित भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा अवार्ड आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी गलत आधारों पर मुआवजा चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, उसके 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ए के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवम मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानो के तहत अवाप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जिसके पश्चात ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरक[illegible] और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते [illegible] में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के (दिल्ली–वडोदरा ऐक्सप्रेस[illegible] कि.मी. तक के भू–खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और [illegible]जन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रा[illegible]त अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. तक (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4116 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का. आ. 4116 दिनांक 21.08.2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत में दिनांक 09.09.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा उसी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा उसी के अर्न्तगत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हे पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी में भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये है।यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 5944 (अ) दिनांक 29.11.2018 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 01.12. 2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनों में दिनांक 19.12.2018 के अंकों में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि खसरा नम्बर 619 निजी बारानी–1 की 0.6621 हैक्टयर वाके ग्राम उदयपुरा तह0 नांगल राजावतान जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अर्न्तगत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम अभयपुरा तह० नांगल राजावतान जिला दौसा के अवाप्त रकबे बाबत अधिसूचना प्रकाशित की गयी। उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारीयों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त समस्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्गमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अर्जित रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि 3 ए (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

(जी) के तहत, अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि / निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई । अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वर्णित उनके स्वामित्व अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित छायादार/फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित छायादार/फलदार वृक्षों के बाजार मुल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मुल्यांकन सहायक निदेशक उद्यान (**Horticulture Department** के पत्र संख्या 2371–73 दिनांक 07.12.2020) छायादार वृक्षों का मूल्यांकन क्षेत्रिय वन अधिकारी के पत्र संख्या क्रमांक 592 द्वारा संक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई गयी जिसके अनुसार संक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित फलदार/छायादार वृक्षों की मुआवजा राशि का निर्धारित किया गया। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 के अनुसार अर्जित निजी भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित छायादार/फलदार वृक्षों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (**Solatium**) आंगणित किया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित किया गया। अर्जन, निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और ना ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिससे अधिक दुरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार निर्धारण किया गया है जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत बाधित है व चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत एन.एच. 148 एन निर्माण में तहसील नांगल राजावतान के राजस्व ग्राम उदयपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 619 में से भूमि अवाप्त की गई थी। भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्त भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा निर्धारण एन.एच.ए. आई. के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग की टीम, उधान विभाग, वन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे किये जाने के ... दार/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर सत्यापन की क... पूर्ण होने के उपरांत अवार्ड तैयार कर मुआवजा राशि का निर्धारण कर... उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसकी जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:33 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अपनी अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 619 में दो खजूर के पेड, दो बबूल के छोटे पेड, दो पापड के छोटे पेड, एक नीम का छोटा पेड, एक आम का बडा पेड, एक आम का छोटा पेड जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया।
9. हमने प्रार्थी द्वारा लगाये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा एक पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.2.2021 प्रस्तुत की गई है जिसमें कि पटवारी द्वारा मौका पर्चा में उक्त पेडों का वर्णन प्रार्थी के कहे अनुसार ही अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 619 में दो खजूर के पेड, दो बबूल के छोटे पेड, दो पापड के छोटे पेड, एक नीम का छोटा पेड, एक आम का बडा पेड, एक आम का छोटा पेड स्थित थे।
10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:33 IST
Reason: SelfAttested